

विस्तृत सूचना

विज्ञापन संख्या-78/2014 (प्रबंधन) के अन्तर्गत मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया जाना है।

इस क्रम में विज्ञापन संख्या-78/2014 के उम्मीदवारों का आवेदन पत्र एवं उसमें संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँचोपरान्त पाया गया कि स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के अंकों के CGPA/FGPA/CPI/DGPA को प्रतिशत की रूपान्तरण/गणना कठिनाई हो रही है। वैसे अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् है:-

1. वैसे अभ्यर्थी जिनका स्नातकोत्तर डिग्री के अंकपत्र में CGPA/FGPA/CPI/DGPA वर्णित है परन्तु तत्संबंधी Conversion Formula संलग्न नहीं है, उक्त अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत् है:-

78010013	78010135	78010150	78010153	78010159	78010213	78010214	78010234	78010246
78010273	78010290	78010353	78010377	78010392	78010395	78010420	78010428	78010438
78010475	78010683	78010685	78010688	78010719	78010728	78010749	78010757	78010761
78010848	78010856	78010885	78010886	78010917	78010919	78010923	78010936	78010942
78010947	78010950	78010980	78011020	78011021	78011028	78011034	78011042	


2. वैसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक डिग्री के अंकपत्र में CGPA/FGPA/CPI/DGPA वर्णित है परन्तु तत्संबंधी Conversion Formula संलग्न नहीं है, उक्त अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत् है:-

78010020	78010325	78010462	78010468
----------	----------	----------	----------

3. वैसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री के अंकपत्र में CGPA/FGPA/CPI/DGPA वर्णित है परन्तु तत्संबंधी Conversion Formula संलग्न नहीं है, उक्त अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत् है:-

78010252	78010645	78010694	78010710	78010907	78011005
----------	----------	----------	----------	----------	----------

उक्त आलोक में उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत CGPA/FGPA/CPI/DGPA को प्रतिशत में रूपान्तरण से संबंधित (CGPA/FGPA/CPI/DGPA to Percentage Conversion Formula) प्रमाण पत्र प्राप्त कर आयोग कार्यालय को वांछित प्रमाण पत्र आयोग के Email: bpscpat-bih@nic.in के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि दिनांक-17.03.2022 की संध्या 5:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाए। दिनांक-17.03.2022 के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी स्नातक/स्नातकोत्तर के अधिभार अंकों पर यथा समय समीक्षा पर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।


संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना